राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1098/2019

अशोक कुमार अग्रवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	22.05.2019
आदेश की दिनांक	:	04.12.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से	: श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से	: श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति परमजीत सिंह को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी को भी पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति परमजीत सिंह को दी गई पदोन्नति विलोपित की जा चुकी है और परमजीत सिंह को वरिष्ठता में अपीलार्थी से कनिष्ठ किया जा चुका है।
3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।
4. चूंकि हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा जो आधार इस अपील में उठाया गया है, वह आधार अब शेष नहीं है। अतः यह अपील सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)